राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 7(5) ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–3/रो.सा.प्ला./2014 जयपुर, दिनांक– 01 MAY 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.09.2014, 20.11.2014, 26.02.2015 एवं अ.शा. पत्र दिनांक 19.01.2015

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ लाभकारी परिसम्पत्तियों को निर्माण करना भी है। वृक्ष एक ऐसी परिसम्पत्ति है जो कि प्रत्येक वर्ष गृहस्थों (House Holds) को स्थाई आमदनी के साधन प्रदान कर सकती है। अनुसूची –I– पैरा – 4 (1), I. (v) के अनुसार पैरा–5 में आने वाले गृहस्थों (House Holds) के भोगाधिकारों (Usufruct Rights) को ध्यान में रखने पर विशेष महत्व दिया गया है। अतः सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी के आजीविका हेतु एक दीर्धकालिक, उत्पादक एवं हरे–भरे परिसंपत्ति का निमार्ण करना है।

<u>सडकों का चिन्हीकरण एवं लाभार्थियों का चयनः–</u>

वृक्षारोपण कार्य हेतु PMGSY सड़कों का चिन्हांकन PMGSY के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत / जिला परिषद तथा महात्मा गांधी नरेगा अधिकारियों के सलाह से किया जाएगा। इस हेतु Transect Walk किया जाएगा, जिसमें कि प्रधान/सरपंच एवं अन्य लोक सेवकों को शामिल किया जाएगा। Transect Walk के तहत संपूर्ण जानकारियों को रिकार्ड किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्य कियान्वयन से पूर्व, लाभार्थियों का चयन एवं प्राथमिकीकरण किया जाएगा। इनका चयन, सड़क के किनारे के गांवों के उन घरों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, जैसा कि महात्मा गांधी नरेगा के अनुसूची –I के अनुच्छेद 5 में बताया गया है। इन लाभार्थियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके घर वृक्षारोपण हेतु चयनित सडक के भाग के पास हों। चिन्हित किये गये लाभार्थियों एवं प्रस्तावित भूमि का विवरण अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावेगा। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत चिन्हित लाभार्थियों की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन (मार्गदर्शिका में वर्णित प्रारूप–1 के अनुसार) प्रस्तुत करेगा। इसके तहत, योजनान्तर्गत, वृक्षारोपण कार्य हेतु अनुमति प्राप्त की जाएगी जिसमें वृक्षारोपण के क्षेत्र, लाभार्थियों के नाम, पौधों की प्रजाति आदि का विवरण होगा। स्वीकृत मंजूरी योजना की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रारूप–2 में दी जाएगी, जो कि रोपे गए पौधों के भोगाधिकार (Usufruct) को स्वीकृत करेगा जो कि अनुवांशिक (Heritable) एवं अपरिहार्य (Inalienable) होगा। प्रत्येक लाभार्थी को जमीन का केवल इस उद्देश्य का पट्टा आवंटित किया जावेगा, जिसमें कि 200 से अधिक पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये लाभार्थियों को आबंटित किये गये पेड़ों पर अनुवांशिक(Heritable) अधिकार होंगे पर हस्तांतरण के अधिकार नहीं होंगें लेकिन इन पेड़ों

द्वारा आवृत्त (Covered) भूमि पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार भी लाभार्थियों को तभी मिल सकते है जब वे इस योजना हेतु जारी मार्गदर्शिका में वर्णित समस्त कार्यो को पूरा करेंगे।

पौधो की प्रजातियों का चयन एवं नर्सरी की स्थापनाः—

रोपित की जाने वाली प्रजातियों का चयन स्थानीय समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत एवं वन/उद्यान विभाग से परामर्श किया जायेगा। स्थानीय वातावरण एवं मृदा की अनुकूलता का भी प्रजातियों के चयन के समय विशेष ध्यान रखा जायेगा। वृक्षारोपण गतिविधियों हेतु, प्रथम वर्ष में (2014—15) पौधे ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय नर्सरी अथवा वन विभाग से प्राप्त किये जायेंगे। अगले वर्ष (2015—16) में स्वयं सहायता समूह नर्सरी खोलकर पौधे उपलब्ध करवाये जा सकते है। इस योजना के तहत एक आदर्श नर्सरी का आंकलन(Estimate) मार्गदर्शिका परिशिष्ट—1 में वर्णित किया गया है। इस आंकलन से एवं स्थानीय वन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर नर्सरी की स्थापना की जा सकती है।

वृक्षारोपण पूर्व एवं वृक्षारोपण गतिविधियांः—

वृक्षारोपण कार्य हेतु सभी संबंधित गतिविधिया समयवार शुरू की जानी चाहिए। इन गतिविधियों का विस्तृत विवरण एवं आदर्श आकंलन मार्गदर्शिका के परिशिष्ट—3 एवं 4 में दर्शाया गया है। विभिन्न जिलें इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने जिले एवं क्षेत्र के आंकलन को अन्तिम रूप दे सकते है।

मापन एवं भुगतानः—

प्रत्येक लाभार्थी गृहस्थों को मस्टर जारी किया जाएगा, जो कि योजना के संपूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। जैसे ही परिवारों के अकुशल रोजगार के 100 दिन पूर्ण हो जायेंगे, शेष दिनों के लिए मस्टर, अर्द्ध कुशल कार्यों के रूप में वितरित किया जाएगा और इसका भुगतान सामग्री के भाग से किया जाएगा। अन्य से हटकर, मापन के तहत निम्न बिन्दु शामिल होंगे a) जीवित पेड़ों की संख्या b) पौधों की संख्या, जिनके लिए सूचित कार्य पूर्ण हो चुके है। लाभार्थियों का भुगतान अनुसूची के अनुसार की गई गतिविधियों के आधार पर होगा। साथ ही प्रत्येक माह के 15 तारीख के पूर्व, मासिक आधार पर जीवित पेड़ों की वर्तमान संख्या एवं पिछले माह रिकार्ड किये गये जीवित पेड़ों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा। मासिक संधारण में योग्यता (Qualifying) हासिल करने हेतु, जिन कार्यों को पूर्ण किया जाना है, उनकी सूची परिशिष्ठ — 2 में दी गई है।

माह	वृक्षारोपण की अनुसूची के आधार पर पूर्ण किये जाने वाले कार्य	जीवितता %	भुगतान (मजदूरी)
प्रत्येक माह	पूर्ण	90%से ऊपर	पूर्ण भुगतान
	पूर्ण	>75% एवं <90%	आधा भुगतान
	पूर्ण	<75%	कोई भुगतान नहीं
	नहीं किया गया	90%से ऊपर	आधा भुगतान
	नहीं किया गया	>75% एवं <90%	चौथाई भुगतान
	नहीं किया गया	<75%	कोई भुगतान नहीं

भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर प्राप्त निर्देशों एवं हाल ही में की गई वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग में इस योजना की गतिविधिवार समीक्षा पर बल दिया जा रहा है। कृपया मार्गदर्शिका में वर्णित गतिविधियों के अनुसार योजना की प्रगति की सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं योजना के नोडल अधिकारी श्री संजय प्रकाश भादू, उप वन संरक्षक, ई.जी.एस. (मो.न.9414826523) को ई–मेल dcf.nregs@gmail.com पर साप्ताहिक रूप से भिजवायें।

इस योजना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका (Guidelines) की इस कार्यालय स्तर से की गई हिन्दी अनुवाद की प्रति आपको सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

30/4/15

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
3. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
4. श्री रिंकु छीपा को ई–मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

30/4/15

परि. निदे. एवं उप सचिव,
ईजीएस

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु कार्य–योजना

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

I. योजना

1. परिचय–

1.1 महात्मा गांधी नरेगा का एक मुख्य उद्देश्य है, "ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का अकुशल (Unskilled) शारीरिक कार्य आधारित (Manual) रोजगार प्रदान करना, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धारित गुणवत्ता एवं स्थायित्व आधारित लाभकारी परिसंम्पत्तियों का निर्माण हो, और इससे गरीबों के आजीविका संसाधनों में सुदृढ़ता आए"

1.2 सूखारोधन (Drought Proofing) कार्य जैसे वनरोपण, पेड़ लगाना आदि कार्य स्वीकृत हैं। अनुसूची –I– अनुच्छेद – 4 (I), I. (V) के अनुसार पैरा–5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सडक सीमांतो, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागबानी के कार्य प्रवर्ग 'अ' के अन्तर्गत आने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बन्धित लोक निर्माण कार्यो में सम्मिलित है। उपरोक्त कार्यों को करते समय गृहस्थों (House Holds) के भोगाधिकारों (Usufruct Rights) को ध्यान मे रखा जाये। वृक्ष ही एक ऐसी परिसंपत्ति है, जो कि प्रत्येक वर्ष गृहस्थों को स्थायी आमदानी के साधन प्रदान कर सकती है। इसी कारण वृक्षारोपण को महात्मा गांधी नरेगा में काफी महत्व दिया गया है।

2 सड़क सीमा पर पौध–रोपण–

2.1 कई प्रकार के ऐसे सड़क है, जहां किनारों पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय राज मार्ग, राज्य स्तरीय राजमार्ग, पी.एम.जी.एस.वाय. एवं ग्रामीण सड़क। परन्तु विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण एवं इसके संधारण (Maintenance) संबंधी निधि में कमी के कारण कई सड़कों पर वृक्षारोपण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

2.2 सड़क सीमाओं पर वृक्षारोपण से न केवल उत्पादक परिसंपत्ति का निर्माण होगा, बल्कि सड़क के अद्यःपतन (Deterioration) की संभावना भी कम हो जाएगी। साथ ही, इससे पारिस्थितिकीय संतुलन भी बढ़ेगा एवं भूमंडलीय गरमाहट (Global Warming) में भी कमी आएगी।

2.3 शुरूआती दौर में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पी.एम.जी.एस.वाय. एवं राष्ट्रीय राज मार्गों से वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

3 उद्देष्य–

1. ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी के आजीविका हेतु एक दीर्घकालिक, उत्पादक एवं हरे–भरे परिसंपत्ति का निमार्ण करना।
2. वृक्षारोपण के साथ–साथ मिट्टी एवं जल संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देना ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा मिले।

4. PMGSY सड़कों का चिन्हांकन–

4.1 वृक्षारोपण कार्य हेतु PMGSY सड़कों का चिन्हांकन PMGSY के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत / जिला परिषद तथा महात्मा गांधी नरेगा अधिकारियों के सलाह से किया जाएगा। (सड़कों एंव संयुक्त मार्गों, जहां सड़क–आधार से अधिक भूमि हो, को चिन्हित किया जाएगा।)

4.2 वृक्षारोपण के क्षेत्रों के निर्धारण हेतु एक छवि/रेखा चित्र तैयार किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण क्षेत्र एवं गैर वृक्षारोपण क्षेत्रों को दर्षाया जाएगा। इस हेतु Transect Walk किया जाएगा, जिसमें कि प्रधान/सरपंच सेवकों को शामिल किया जाएगा। Transect Walk के तहत संपूर्ण जानकारियों को रिकार्ड किया जाएगा।

4.3 छायादार वृक्षारोपण सड़कों के किनारे एवं खण्ड स्तरीय वृक्षारोपण वहां भूमि सड़क से सटी हो, एवं सड़क की सुरक्षा हेतु बिना किसी पूर्वाग्रह के वृक्षारोपण किया जाए।

4.4 राष्ट्रीय राजमार्गों का चिन्हांकन NHAI (National Highway Authority of India) के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य के साथ मिलकर किया जाएगा, जहां अनुमानित सामग्री, NHAI द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत "राज्य रोजगार गारंटी निधि" के अन्तर्गत जमा किया जाएगा।

5. लाभार्थियों का चिन्हांकन–

5.1 इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्य हेतु सड़कों/नहरों के विस्तार (Stretches) संबंधी निर्णय ग्राम पंचायत, राजस्व अधिकारियों से परामर्श कर करेगा।

5.2 वृक्षारोपण कार्य कियान्वयन से पूर्व, लाभार्थियों का चयन एवं प्राथमिकीकरण किया जाएगा। इनका चयन, सड़क के किनारे के गांवों के उन घरों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, जैसा कि महात्मा गांधी नरेगा के अनुसूची –I के अनुच्छेद 5 में बताया गया है। इन लाभार्थियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके घर सडक के किनारे पर हों।

5.3 महात्मा गांधी नरेगा मार्गदर्शिका (Guidelines) के अनुसार, चिन्हित किये गये लाभार्थियों एवं प्रस्तावित भूमि अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावेगा।

5.4 ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत चिन्हित लाभार्थियों की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों, जो कि इन शासकीय भूमि की सुरक्षा हेतु जिम्मेवार हैं, के समक्ष एक आवेदन (प्रारूप–1 के अनुसार) प्रस्तुत करेगा। इसके तहत, योजनान्तर्गत, वृक्षारोपण कार्य हेतु अनुमति प्राप्त की जाएगी जिसमें वृक्षारोपण के क्षेत्र, लाभार्थियों के नाम, पौधों की प्रजाति आदि का विवरण होगा।

I. प्राधिकृत अधिकारी, प्रारूप–1 में आवेदन प्राप्त कर, इस पर विचार–विमर्श कर यह निर्णय लेगा कि वृक्षारोपण कार्य हेतु मंजूरी दी जाए अथवा नहीं।

II. वृक्षारोपण कार्य को निम्न कारणों से नामंजूर किया जा सकता है–

a. यदि भूमि मौजूद नहीं है अथवा विवाद ग्रस्त हो।

b. यदि इस कार्य से सामाजिक सुरक्षा को खतरा हो।

c. यदि भविष्य में भूमि का उपयोग विभागीय कार्य हेतु किया जाना है।

III. वृक्षारोपण के कार्य की सभी नामंजूरियों हेतु उच्चतर अधिकारियों के पास अपील की जा सकती है, जिन्हें सभी नामंजूरियों को निष्प्रभावी कर मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त होगा।

IV. स्वीकृत मंजूरी प्रारूप–2 (संलग्न) में दी जाएगी, जो कि रोपे गए पौधों के भोगाधिकार (Usufruct) को स्वीकृत करेगा जो कि अनुवांशिक (Heritable) एवं अपरिहार्य (Inalienable) होगा।

V. प्रत्येक लाभार्थी को जमीन का पट्टा आवंटित किया जावेगा, जिसमें कि 200 से अधिक पेड़ नहीं लगाए जाएंगे।

VI. दी गई स्वीकृति, महात्मा गांधी नरेगा के कार्यक्रम अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भूमि की सुरक्षा हेतु रद्द की जा सकती है, यदि लाभार्थी ने :

a. योजना के अनुरूप कार्य न किया हो,

b. भूमि को क्षति पहुंचाई हो अथवा पहुंचाने की कोशिश की हो,

c. यदि निकट के किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण किया हो या फिर,

d. भूमि संबंधी कोई गैर–कानूनी कार्य किया हो या करने की कोशिश की हो,

6. पेड़ के पट्टे का भोगाधिकार–

योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये लाभार्थियों को आबंटित किये गये पेड़ों पर अनुवांशिक अधिकार होंगे पर हस्तांतरण के अधिकार नहीं होंगें लेकिन इन पेड़ों द्वारा आवृत्त (Covered) भूमि पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार लाभार्थियों को तभी मिल सकते है, जब वे निम्न कार्यों को पूरा करेंगे :

a. पेड़ों की वृद्धि, सुरक्षा एंव सिंचाई हेतु वे सभी कार्य करना, जैसा कि उस गृहस्थ के सदस्यों द्वारा निर्धारित/अनुमानित किया गया है।

b. पेड़ों के परिपक्व होने पर भोगाधिकार का उपयोग करेंगे, पर इससे पेड़ों अथवा सार्वजनिक परिसंपत्तियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, यदि पेड़ों को हटाने की आवश्यकता हो, तो ऐसा ही करेंगे, पर इसकी जगह नये पेड़ भी लगाएंगे, और यह कार्य परामर्श द्वारा अपने खर्च पर करेंगे।

c. अन्य किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं करेंगे, जो उन्हें आबंटित नहीं की गयी हो।

d. ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, एवं करने का प्रयास भी नहीं करेंगे जिससे कि आबंटित भूमि को नुकसान पहंचे।

e. इस भूमि का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाएगा, जो कि कानूनन निषेध हो।

7. पौधों की प्रजातियों का चिन्हांकन–

7.1 पेड़ों की प्रजातियों का चयन समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत ओर वन एवं बागवानी विभागों से परामर्श कर किया जाएगा। इसके अन्तर्गत शुष्क एवं सूखा क्षेत्र, नम क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, लवणीय क्षेत्र आदि के आधार पर पोधों के स्थायित्व एंव उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि IRCSP 21 : 2009 में अनुशंषित किया गया है।

7.2 वृक्षारोपण गतिविधियों हेतु, प्रथम वर्ष में (2014–15) पौधे ग्राम पंचातय द्वारा शासकीय नर्सरी अथवा वन विभाग से प्राप्त किये जायेंगे। अगले वर्ष (2015–16) में स्वयं सहायता समूह नर्सरी खोलकर पौधे उपलब्ध करवा सकते हैं।

8. वृक्षारोपण सामग्री की तैयारी–

प्रथम वर्ष (2014–15) को छोड़कर वृक्षारोपण संबंधी आवश्यक सामग्री को महात्मा गांधी नरेगा के तहत संधारित नर्सरी में उत्पादित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत एक आदर्श नर्सरी का आंकलन (Estimate) परिशिष्ठ –1 में किया गया है। इस आंकलन में अकुशल मानव दिवस, कुशल मानव दिवस एवं सामग्री का विवरण है। विभिन्न राज्य इस आंकलन से मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने राज्यों एवं क्षेत्रों का आंकलन तैयार कर सकते है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत, नर्सरी की तैयारी हेतु गतिविधियों की अनुसूची संलग्नक – 2 में दिया गया है।

नर्सरी स्थापित करते वक्त निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा :

a) नर्सरी का स्थान (Location) किसी शासकीय भूमि अथवा स्वयं सहायता समूह के घर के क्षेत्र में हो सकता है, जहां पानी के सुविधा उपलब्ध हो एवं यह स्थान मुख्य वृक्षारोपण क्षेत्र के पास हो।

b) नर्सरी को बनाने हेतु जो भी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी, वो अवश्य ही पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए, जैसे कि नर्सरी–शेड हेतु छप्पर एवं बांस का प्रयोग करें।

c) नर्सरी की जीवंत बाडबंदी (vegetative fencing) होनी चाहिए या फिर स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बनी होनी चाहिए।

d) यदि उपलब्ध हो सके तो, पत्ते के बने हुए थैले या इसी प्रकार की अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाए न कि प्लास्टिक के बने थैलों का।

e) खाद के रूप में खेतों में बना खाद ही प्रयोग किया जाए, जो कि आसानी से उपलब्ध हो।

f) गतिविधियों के आधार पर, नर्सरी में कार्य करने हेतु निःशक्तजनो, बुजुर्गों एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों (Vulnarable Groups) जिनके पास जॉब कार्ड हो, को प्राथमिकता दी जाए, जहां कि उनके अधिकतम सामर्थ्यता को प्रयोग में लाया जाए।

g) पौधों के रख–रखाव संबंधी गतिविधियों हेतु मानव दिवस (Persondays) को विवेकपूर्ण नियोजित करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे जीवित एवं स्वस्थ्य स्थिति में रहें।

h) नर्सरी में उपजाए गये अंकुर पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जैसे कि मांग के आधार पर 150 प्रतिशत् तक।

i) नर्सरी में बोने हेतु आवश्यक बीज वन विभाग से परामर्श के पश्चात् ही प्राप्त किये जाने चाहिए।

j) नर्सरी की सभी गतिविधियां जैसे कि बीजों का पूर्व उपचार, बीजों के व्यवहारिकता के आधार पर उन्हें सही वक्त पर बोना इत्यादि कार्य वन विभाग की निगरानी में होना चाहिए।

k) स्वय सहायता समूह अथवा समुदाय, जो कि नर्सरी तैयार करने में शामिल है, का समय–समय पर वन/बागवानी विभाग से प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए।

l) ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 के श्रम–सामग्री के अनुपात को संधारित (Maintain) करना चाहिए।

9. वृक्षारोपण पूर्व एवं वृक्षारोपण गतिविधियां–

वृक्षारोपण हेतु सभी गतिविधियां वृक्षारोपण की तारीख से कम से कम 10 माह पूर्व शुरू हो जानी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण संबंधी मासिक वार गतिविधियां परिशिष्ठ – 3 में दर्शायी गई है।

सड़क किनारे पौधे सड़क के सिरे (Toe) पर लगाने चाहिए। जल एवं मृदा संरक्षण (SMC) कार्य सड़क किनारे पर करने की आवश्यकता है। एक आदर्श आंकलन जो कि विभिन्न विनिर्देशों (Specifications) को दिखाता है एवं ऐसे वृक्षारोपण की विभिन्न गतिविधियों को शामिल करता है परिशिष्ठ – 4 में दिखाया गया है। विभिन्न राज्य इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने राज्य/क्षेत्र के आंकलन को अंतिम रूप दे सकते है।

आंकलन में निम्न तथ्य शामिल होंगे :

a) गढढा खोदने की कीमत, वृक्षारोपण, पोधों की कीमत, बाडबंदी, खेत में बनाये गये खाद, कीटनाशक, टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) हेतु मिट्टी के घड़े, पानी रखने वाली ट्रॉली, प्रदर्शन पट्ट।

b) पौधों के बीच जल संरक्षण गढढा

c) पानी पिलाने की कीमत, निंदाई एवं मिट्टी में कार्य करने वाले औजार

d) जीवंत पौधों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित वर्षों हेतु लाभार्थियों के लिए अकुशल/अर्द्ध–कुशल मजदूरी।
e) लाभार्थियों क्षमता वृद्धि
f) निरीक्षण संबंधी एवं तकनीकी सहायता

10. **रूपात्मकता/तौर–तरीका (Modalities)–**

a. मस्टर

प्रत्येक लाभार्थी गृहस्थों को मस्टर जारी किया जाएगा, जो कि योजना के संपूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। जैसे ही परिवारों के रोजगार का 100 दिन पूर्ण हो जाएगा, शेष दिनों के लिए मस्टर, अर्द्ध कुशल कार्यों के रूप में वितरित किया जाएगा और इसका भुगतान सामग्री के भाग से किया जाएगा।

b. मापन

अन्य से हटकर, मापन के तहत निम्न बिन्दु शामिल होंगे a) जीवित पेड़ों की संख्या b) पौधों की संख्या, जिनके लिए सूचित कार्य पूर्ण हो चुके है।

c. भुगतान

लाभार्थियों का भुगतान अनुसूची के अनुसार की गई गतिविधियों के आधार पर होगा। साथ ही प्रत्येक माह के 15 तारीख के पूर्व, मासिक आधार पर जीवित पेड़ों की वर्तमान संख्या एवं पिछले माह रिकार्ड किये गये जीवित पेड़ों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

मासिक संधारण में योग्यता (Qualifying) हासिल करने हेतु, जिन कार्यों को पूर्ण किया जाना है, उनकी सूची परिशिष्ठ – 2 में दी गई है।

माह	**वृक्षारोपण की अनुसूची के आधार पर पूर्ण किये जाने वाले कार्य**	**जीवितता %**	**भुगतान (मजदूरी)**
प्रत्येक माह	पूर्ण	90%से ऊपर	पूर्ण भुगतान
	पूर्ण	>75% एवं <90%	आधा भुगतान
	पूर्ण	<75%	कोई भुगतान नहीं
	नहीं किया गया	90%से ऊपर	आधा भुगतान
	नहीं किया गया	>75% एवं <90%	चौथाई भुगतान
	नहीं किया गया	<75%	कोई भुगतान नहीं

d. योजना के तहत सामग्री/मजदूरी की लागत (Cost) को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे–सीधे हस्तांतरण (Transfer) कर दी जावेगी।

11. **प्रशिक्षण–**

समुदाय को गतिशील बनाना (Mobilization) एवं साझेदारों (Stakeholders) को संवेदनशील बनाना, इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस हेतु ग्राम रोजगार सेवकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं संदर्भ व्यक्तियों आदि को महात्मा गांधी नरेगा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, लाभार्थियों के साथ आमुखीकरण (orientation) बैठक भी आयोजित की जावें।

12. वर्ष 2014–15 हेतु सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य हेतु कार्य–योजना–

प्रथम वर्ष अर्थात् 2014–15 हेतु गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है :

क्र.	गतिविधियों का विवरण	माह	जिम्मेवार संख्या
1.	ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभागों द्वारा पौधों की सामग्री का मूल्यांकन	15 अगस्त 2014	ग्रामीण विकास विभाग
2.	ग्राम पंचायत के आधार पर पी.एम.जी. एस.वाय. सड़कों का चिन्हांकन	15 अगस्त 2014	पी.एम.जी.एस.वाय. ग्राम पंचायत/ खण्ड स्तरीय व जिला पंचायत, ग्रामीण विकास
3.	लाभार्थियों का चिन्हांकन	31 अगस्त 2014	ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत, वन विभाग
4.	फैलाव (Stretches) का आबंटन	31 अगस्त 2014	ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत, खण्ड पंचायत, जिला पंचायत, एस.एच.जी. (SHG) लाभार्थी
5.	लाभार्थियों का प्रशिक्षण, अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रजातियों का चयन एवं अंकुरों का रोपण	31 अगस्त 2014	वन विभाग, ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत, खण्ड पंचायत, जिला पंचायत, एस.एच.जी. (SHG) लाभार्थी
6.	सिंचाई संरक्षण (अनुसूची के अनुरूप)	सितम्बर 2014–मार्च	एस.एच.जी. (SHG) लाभार्थी
7.	संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण	सितम्बर 2014	चुने गये लाभार्थी/एस.एच.जी. (SHG)/ ग्रामीण विकास

13. वर्ष 2015–16 हेतु सड़क किनारे वृक्षारोपण की कार्य–योजना–

वृक्षारोपण वर्ष के लिए प्रारंभिक गतिविधियॉ एक वर्ष पूर्व शुरू होगी। वृक्षारोपण वर्ष 2015–16 हेतु गतिविधियों का विवरण संलग्नक – 5 में दिया गया है। ये गतिविधियां प्रत्येक आगामी वर्षो में फिर से दुहराई जाएगी।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क तट पर वृक्षारोपण

प्रारूप – 1

सड़क किनारे वृक्षारोपण (शासकीय भूमि पर) एवं भोगाधिकार हेतु अनुमति होगा।

ओर से

————————

———————गांव

———————ग्राम पंचायत

———————खण्ड

———————जिला

निमित्त

अधिशाषी अभियन्ता (प्राधिकृत अधिकारी)

———————जिला

महाषय,

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण मार्गदर्शिका के अनुरूप हम वृक्षारोपण कार्य जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, हेतु अनुमति देने का आग्रह करते है :

क. सं.	लाभार्थी का नाम	जॉब कार्ड नं.	भूमि का स्थान (विवरण)	भूमि का विस्तार (क्षेत्र या लम्बाई)	प्रजाति का नाम, जिसे रोपना है	पौधों की संख्या

हम यह भी आग्रह करते हे कि पेड़ का पट्टा, अनुवांशिक एवं अपरिहार्य भोगाधिकार उपरोक्त लाभार्थियों को उनके द्वारा विकसित पेड़ों पर दिए जाऐं।

तिथि :   सचिव के हस्ताक्षर

स्थान :   ग्राम पंचायत (G.P.)

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण
प्रारूप – 2

विषय : सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु अनुमति एवं भोगाधिकारों का आबंटन

आदेश

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप, एवं पेड़ लगाने तथा भोगाधिकार प्रदान करने हेतु अनुमति लेने के लिए ——————————ग्राम पंचायत, द्वारा उनके पत्र दिनांक—————— द्वारा पेश किये गये आवेदन (प्रारूप – 1) पर विचार करने के पश्चात ——————————(लाभार्थी का नाम) को —————————— (स्थान का विवरण) क्षेत्र में —————————— (पौधों की प्रजाति) के —————————— (संख्या) पौधे रोपने की अनुमति दी जाती है। उक्त अनुमति के साथ निम्न शर्तें लागू रहेगी।

1. यह आदेश किसी भी प्रकार का भूमि संबंधी मालिकाना हक नहीं देता है, जो कि हर वक्त शासन के पास रहेगी।
2. लाभार्थी केवल इस आदेश में लिखे गये पौधे की प्रजाति को ही रोपेगा एवं उन सभी कार्यों को पूरा करेगा जो पौधे को बढ़ाने, सुरक्षा एवं इनके सिंचाई से संबंधित हों।
3. लाभार्थी भोगाधिकार के आधार पर पेड़ का लाभ उठाएगा पर केवल पेड़ के परिपक्व होने एवं इस काय्र में पेड़ अथवा सार्वजनिक परिसंपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ओर यदि पेड़ को हटाने की आवश्यकता हो तो लाभार्थी उसे हटाकर नए पेड़ लगाएगा और वो भी अपनी पूंजी से।
4. लाभार्थी ऐसे किसी भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा जो कि इस कार्यक्रम के तहत उन्हें आबंटित नहीं किया गया हो।
5. लाभार्थी आबंटित भूमि को क्षति नहीं पहुंचाएगा या ऐसा कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करेगा जिससे आबंटित भूमि को क्षति पहुंचे।
6. लाभार्थी भूमि का उपयोग ऐसे किसी कार्य के लिए नहीं करेगा, जो कि कानून निषेध हो।

2. आगे दी गई अनुमति उच्च अधिकारियों द्वारा रद्द की जा सकती है, जो कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यक्रम अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। यह भूमि की सुरक्षा हेतु किया जाएगा यदि लाभार्थी ने निम्न कार्य नहीं किया हो :
   a. योजना के अनुरूप अपने कर्तव्यों को पूरा न किया हो,
   b. भूमि को क्षति पहुचाई हो अथवा पहुचाने की कोशिश की हो,
   c. पास के किसानों के खेतों पर अतिक्रमण किया हो अथवा
   d. भूमि पर कोई गैर–कानूनी कार्य किया हो अथवा करने की कोशिश की हो।
3. श्री/श्रीमती————————————यह आदेश जारी होने के तारीख से तीन माह के अन्दर वृक्षारोपण का कार्य पूरा करेगा, ऐसा नहीं होने पर, यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

हस्ताक्षर
पद

प्रतिलिपि :–

1. श्री/श्रीमती —————— (लाभार्थी)
2. कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा)————————————खण्ड
3. सचिव——————————————ग्राम पंचायत

परिशिष्ट –1

महात्मा गांधी नरेगा के तहत अंकुर तैयार करने हेतु आदर्श आंकलन

नर्सरी को उन्नत करने हेतु मानव दिवस की अनुसूची

A. मजदूर घटक (Compent)

क.	कार्यों की सूची	कार्य की इकाई	जोन A		जोन B		जोन C	
			मानव दिवस	दर (रू.)	मानव दिवस	दर (रू.)	मानव दिवस	दर (रू.)
1.	स्थान (Location) की सफाई	हेक्टेयर	4.11		4.11		4.11	
2.	लैनटैना (Lantana) से संक्रमित क्षेत्रों की सफाई	हेक्टेयर	13.7		13.7			
3.	मिट्टी की खुदाई 25 से.मी. से 30 से.मी. गहरा, दो बार (नया नर्सरी)	हेक्टेयर	6.85		8.22		9.59	
4.	मिट्टी की दुबारा खुदाई, ड्रेसिंग एवं समतलीकरण (नया नर्सरी)	हेक्टेयर	17.81		18.49		19.18	
5.	समतलीकरण हेतु मिट्टी से ढकने का कार्य	Cum	0.21		0.22		0.27	
6.	खुदाई, समतलीकरण एवं मिट्टी की ढुलाई, बालु ओर खाद 4:2:1 के अनुपात	100 पॉलीथीन, (15 सेमी×10 सेमी)	0.34		0.41		0.48	
7.	ढाल वाली भूमि में पत्थर के दीवाल से तटबंधन करना या 'पुश्ता'बनाना	Cum	1.12		1.3		1.37	
8.	नर्सरी बेड की तैयारी (3 मी×1 मी)	बेड	0.16		0.18		0.19	
9.	बीज बोना एवं बेड को ढकना	बेड	0.02		0.02		0.03	
10.	मिट्टी बालू को छानना, लकड़ी एवं हरे पत्तों आदि की अलग करना	100 बैड	0.27		0.34		0.41	
11.	पॉलीथीन थैले मे रोपने वाले मिश्रण को भरकर उन्हें बेड में डालना	100 थैले	0.34		0.41		0.48	
12.	पॉलिथीन थैले में बीजों को डालना	100 थैले	0.04		0.04		0.04	
13.	नर्सरी बेड की सिंचाई	हेक्टेयर	28.77		31.51		34.25	

14.	अंकुरों की नर्सरी बेड से थैले से लेकर स्थानांतरित (Transplant) करना	100 अंकुर	0.62		0.62		0.68	
15.	नर्सरी का संरक्षण, जिसमें निम्न शामिल है, निंदाई, पौधों का स्थानांतरण एवं यह पौधों को हटाकर नये पौधे लगाना	कम से कम 20,000 पौधे	6 माह		12 माह		18 माह	
16.	वार्षिक आधार पर हल से जोतना/नर्सरी बेड को खोदना 25 सेमी – 30 सेमी गहरा (पुराना नर्सरी)	बेड	0.14		0.16		0.19	
17.	अंकुरण बेड तैयार करना (3 मी ×1 मी) जो की मिट्टी बालू एवं खाद के द्वारा तैयार किया जाएगा, यह 7.50 सेमी मोटा होगा जिसमें खाद का मूल्य, बॉल पौधों के लिए शामिल रहेगा।	बेड	0.14		45.21		49.32	
18.	बॉल पौधों को स्थानांतरित करना							
	a. 6 माह के पष्चात्	100 पौधे	1.03		1.03		1.03	
	b. 12 माह के बाद	100 पौधे	1.64		0.64		0.64	
19.	कीटनाशकों को मूल्य	100 पौधे	0.45		0.48		0.52	
20.	कीटनाशकों का छीड़काव, जब आवश्यकता हो (मजदूर)	20,000 पौधे	0.05		0.05		0.5	
21.	अंकुरों का श्रेणीकरण एवं स्थानांतरण (3 बार)	100 पौधे	1.32		1.32		1.32	
22.	जड़ तैयार करना/टीक, सेमल, शीशम, आदि की कटाई, पौधों की खुदाई	100 पौधे	0.41		0.41		0.41	
23.	जड़ों को स्थापित करना/टहनियों को काटना	100 पौधे	0.41.		0.41.		0.41.	

24.	निम्न पेड़ों के शाखाओं को काटने की तैयारी करना :– पॉपलर, मलबेरी, पीपल, बरगद, गुलर, सलिक्स, आदि एवं बेड में रोपना	100 पौधे	0.41		0.41		0.41	
25.	जड़ों का रोपण/टहनियों की कटाई	100 पौधे	0.07		0.07		0.07	
26.	पौधों की गर्मी, एवं ठंडी से बचाने हेतु छप्पर बनाना, जिसमें छप्पर छाने हेतु घास की ढुलाई तथा मजदूरी भी शामिल है।	3 मी ×1 मी के बेड	0.14		0.15		0.16	

B. सामग्री का भाग (20,000 पौधों के लिए)

क्र.	विषय	मात्रा	दर	राषि (रू.)
1.	बीज के मूल्य	एल.एस		
2.	नर्सरी हेतु कीटनाशकों के मूल्य	एल.एस.		
3.	खाद का मूल्य	9 Cum		
4.	नर्सरी बेड तैयार करने हेतु बालू एकत्रित करने का मूल्य	18 Cum		
5.	पॉलीथीन थैलों में भरने हेतु अच्छी मिट्टी के एकत्रीकरण का मूल्य	35 Cum		
6.	नर्सरी के औजारों का मूल्य	एल.एस.		
7.	पॉलथीन थैलों का मूल्य (15 सेमी ×1 सेमी)	20,000 संख्या		
8.	शेड एवं बाड़बंदी हेतु सामग्री का मूल्य	एल.एस.		
9.	प्रदर्शन पट्ट	एल.एस.		
10.	संपूर्ण लागत का 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय			
		कुल		
		महायोग		

- मानव दिवस के स्त्रोत महात्मा गांधी नरेगा के तहत वन संबंधी कार्य हेतु प्रत्येक राज्य स्तर पर विभिन्न हो सकते हैं।

परिशिष्ट – 2
महात्मा गांधी नरेगा के तहत नर्सरी तैयार करने हेतु गतिविधियों की अनुसूची

माह	नर्सरी तैयार करने हेतु गतिविधियों की अनुसूची
अगस्त	स्व सहायता समूहों (SHG)/समुदाय/लाभार्थियों आदि का ग्राम सभा द्वारा चयन, लाभार्थियों के समूह/अधिकारियों का प्रशिक्षण
सितम्बर	नर्सरी हेतु कार्यस्थल का चयन,, पानी के श्रोत, नर्सरी में जल निकासी प्रबंधन की तैयारी, नर्सरी के छत को छप्पर एवं बांस से बनाना, नर्सरी हेतु विभिन्न औजारों की खरीदारी, एफ.वाय.एम. कीटनाशकों, अच्छी मिट्टी को एकत्र करना, बाड़बंदी, नर्सरी के स्थल की सफाई एवं बीज बोने की तैयारी , बीजों का एकत्रीकरण उपचार एवं बोना बीजों पर नियमित रूप से पानी डालना
अक्टूबर	पॉलीथीन में एफ.वाय.एम. भरना, (धूल एवं परख कर लाया गया) अच्छी मिट्टी (1:3) नियमित रूप से निंदाई, संरक्षण एवं नियमित रूप से सिंचाई
नवम्बर	तैयार अंकुरों की मिट्टी से निकाल कर पॉली बैग में रोपना, मिट्टी के परत की निंदाई/सफाई करना, संरक्षण, सिंचाई एवं इसे धूप से बचाना
दिसम्बर	निंदाई/मिट्टयी के परत की सफाई, संरक्षण, सिंचाई एवं इसे धूप से बचाये रखना
जनवरी	निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाना
फरवरी	पॉल थीनों को स्थानांतरण, निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाना
मार्च	निंदाई, संरक्षण, सिंचाई, नियमित रूप से
अप्रैल	पॉलीथीनों का स्थानांतरण, पॉलीथीनों से निकले हुए जड़ों की छँटाई, निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाना
मई	निंदाई, संरक्षण, सिंचाई, नियमित रूप से
जून	पॉलीथीनों का हस्तांतरण, पॉलीथीनों से निकलने वाली अनचाहे जड़ों की निकासी, पॉलीथीनों को उन स्थानों पर ले जाना, जहां पौधों को लगाना है, निंदाई/मिट्टी की सफाई, संरक्षण नियमित सिंचाई
जुलाई	पौधों के साथ पॉलीथीनों को उस स्थान पर ले जाना जहां उन्हें रोपणा है, निंदाई मिट्टी की सफाई, संरक्षण, नियमित सिंचाई
अगस्त	पौधों के साथ पॉलीथीनों को उस स्थान पर लै जाना जहां उन्हें रोपणा है, निंदाई मिट्टी की सफाई, संरक्षण, नियमित सिंचाई

परिशिष्ट – 3
सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु कार्यों की सूची

वर्ष	माह	सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु कार्यों की अनुसूची
प्रथम वर्ष	जनवरी	क्षेत्र का सर्वे एवं साफ, सफाई, कीटनाशकों की खरीददारी
	फरवरी	गडढ़ों की खुदाई
	मार्च	गडढ़ों की खुदाई, खोदे गए गडढ़ों में कीटनाशको को डालना। बाड़बंदी हेतु पर्यावरण अनुकूल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों को प्राप्त करना, अथवा जीवन्त बाड़बंदी (vegetative fencing) करना अथवा सामाजिक बाड़बंदी (social fencing) करना
	अप्रैल	खेतों में तैयार किये गये खादों की खरीददारी, उर्वरक
	मई	गडढ़ों को एफ.वाय.एम. एवं मिट्टी से भरना, लाभार्थियों को उसी स्थान पर प्रशिक्षण साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारियों का प्रषिक्षण कि वृक्षारोपण कैसे किया जाए
	जून	पौधों का स्थानान्तरण एवं छोटे पोधों (अंकुरों) को रोपना एवं जीवंत बाड़बंदी (vegetative fencing) सिंचाई, निंदाई, एवं कुदाल चलाना
	जुलाई	पौधों का स्थानान्तरण एवं छोटे पोधों (अंकुरों) को रोपना एवं जीवंत बाड़बंदी (vegetative fencing) सिंचाई, निंदाई, एवं कुदाल चलाना
	अगस्त	पौधों का स्थानान्तरण एवं अंकुरों का रोपण तथा जीवंत बाड़बंदी (vegetative fencing) सिंचाई
	सितम्बर	निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाई
	अक्टूबर	निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाई
	नवम्बर	निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाइ
	दिसम्बर	निंदाई, कुदाल चलाना एवं संरक्षण
द्वितीय वर्ष	जनवरी	निंदाई, कुदाल चलना एवं संरक्षण
	फरवरी	निंदाई, कुदाल चलना एवं संरक्षण
	मार्च	सिंचाई 4 बार
	अप्रैल	सिंचाई 6 बार
	मई	सिंचाई 6 बार
	जून	सिंचाई 6 बार
	जुलाई	आकस्मिक प्रतिस्थापन (कुल पौधों का 20%) निंदाई, संरक्षण
	अगस्त	आकस्मिक प्रतिस्थापन (कुल पौधों का 20%) निंदाई, संरक्षण
	सितम्बर	सिंचाई 2 बार, संरक्षण
	अक्टूर	सिंचाई 2 बार, संरक्षण
	नवम्बर	सिंचाई 2 बार, संरक्षण
	दिसम्बर	संरक्षण
तृतीय वर्ष	जनवरी	संरक्षण
	फरवरी	संरक्षण

208

	मार्च	सिंचाई 4 बार, संरक्षण
	अप्रैल	सिंचाई, संरक्षण
	मई	सिंचाई, संरक्षण
	जून	सिंचाई, संरक्षण
	जुलाई	आकस्मिक प्रतिस्थापन (कुल पौधों का 10%) सिंचाई, संरक्षण
	अगस्त	आकस्मिक प्रतिस्थापन (कुल पौधों का 10%) सिंचाई, संरक्षण
	सितम्बर	सिंचाई, संरक्षण
	अक्टूबर	सिंचाई, संरक्षण
	नवम्बर	सिंचाई, संरक्षण
	दिसम्बर	सिंचाई, संरक्षण
चतुर्थ वर्ष	जनवरी	सिंचाई, संरक्षण
	फरवरी	सिंचाई, संरक्षण
	मार्च	सिंचाई, संरक्षण
	अप्रैल	सिंचाई, संरक्षण
	मई	सिंचाई, संरक्षण
	जून	सिंचाई, संरक्षण
	जुलाई	सिंचाई, संरक्षण
	अगस्त	सिंचाई, संरक्षण
	सितम्बर	सिंचाई, संरक्षण
	अक्टूबर	सिंचाई, संरक्षण
	नवम्बर	सिंचाई, संरक्षण
	दिसम्बर	सिंचाई, संरक्षण

परिशिष्ट – 4
महात्मा गांधी नरेगा के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य हेतु आदर्श आंकलन (Estimate)
पांच वर्षों के लिए 200 पौधों की गणना

जिला :————————विकासखण्ड :————————ग्राम पंचायत :——————

क्षेत्र (से)———————क्षेत्र(तक) अंतराल————————मी.×——————मी.

लम्बाई————किमी.

प्रथम वर्ष

क.	कार्य का विवरण	ईकाई	मानव दिवस की संख्या	राषि (रु.)
A		**मजदूरी का भाग**		
		शून्य वर्ष		
1	सर्वे एवं सीमांकन	1 किमी	1	
2	पौधे रोपने वाले जगह को निम्न तरीको से तैयार करना : सफाई, झाड़ियों एवं घास–फूस की कटाई, एवं इसे हटाना	10,000 $मी^2$	16	
3	गड़ढा खोदना (0.45 मी ×0.45 ×0. 30 मी)	200 गड्ढे	25	
4	गड्ढों में खाद भरना	200 गड्ढे	5	
5	अंकुरों को रोपना	200 पौधे	5	
6	संरक्षण	भुगतान 200 पौधों में से जीवित पौधों के आधार पर, 5वर्षों के लिए किया जायेगा= (200×12×5) 15 प्रति पौधे	15/पौधे/माह	180,000
B	**समग्री का भाग**	**मात्रा**	**दर (रु.)**	**राषि (रु.)**
7	पौधे लगाने की सामग्री का मूल्य	200+40+20=260	25 प्रति पौधे	6500
8	कीटनाशकों एवं खाद का मूल्य			
8.1	प्रथम वर्ष – 15 दिनों के अंतराल में एक बार	200×24 = 4800	0.9	4320
8.2	द्वितीय वर्ष– 30 दिनों के अंतराल में एक बार	200×12 बार = 2400	0.9	2160
8.3	तीसरा वर्ष– 30 दिनों के अंतराल में एक बार	200×12 बार = 2400	0.9	2160
8.4	चतुर्थ वर्ष – 30 दिनों के अंतराल में एक बार	200×12 बार = 2400	0.9	2160
8.5	पंचम वर्ष – 30 दिनों के अंतराल में एक बार	200×12 बार = 2400	0.9	2160
9	जल वाहक ट्राली का मूल्य (Cost)	एक ट्राली	5000	5000
10	सिंचाई के लिए मिट्टी के घड़े का मूल्य (मटका)	1 घड़ा प्रति पौधा= 260	50	13000
11	बाड़बंदी (पेड़ों की सुरक्षा हेतु)	200 पौधों हेतु घेराबंदी करना,	350	70000

		जिसमें बांस के स्तंभ अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग किया जाए		
12	कुल मूल्य का 2 प्रतिषत आकस्मिक निधि के रूप में प्रयुक्त होगा			5837
कुल				**297671**

अकुशल मजदूरी की दर विभिन्न राज्यों में अलग–अगल हो सकती है। गड्ढे की माप एवं अंतराल पौधे की प्रजाति पर निर्भर करते है। मजदूरी के भाग के मूल्य का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा से किया जाएगा।

परिशिष्ट –5
वर्ष 2015–16 हेतु सड़क किनारे वृक्षारोपण की कार्य योजना

क.	गतिविधियों का विवरण	माह	जिम्मेवार संस्था (अभिकरण)
1	ग्राम पंचायतानुसार PMGSY सड़कों का चिन्हांकन	अगस्त 14	PMGSY– या ग्राम पंचायत. /विकास खंड पंचायत/जिला पंचायत/ ग्रामीण विकास
2	लाभार्थियों का चिन्हांकन एवं PMGSYसड़कों के विस्तार (Stretch) का आबंटन, लाभार्थियों का प्रशिक्षण, अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रजातियों का चयन	अगस्त 14	ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत. विकास खंड पंचायत, जिला पंचायत, वन विभाग, PMGSY
3	लाभार्थियों के समूहों द्वारा नर्सरी तयार करना। नर्सरी हेतु स्थान का चयन, पानी के श्रोत, नर्सरी में जल निकासी तंत्र की तैयारी, खपड़े एवं बांस के नर्सरी के छत को तैयार करना, नर्सरी के औजारों की खरीदारी, FYM, कीटनाशकों को उपलब्ध करना, अच्छी मिट्टी के इकट्ठा करना, घेराबंदी, स्थान की सफाई एवं उत्पादक बेड तैयार करना, बीजों को एकत्रित करना, उपचार करना एवं बोना तथा नियमित सिंचाई	सितम्बर 14	चयनित स्वयं सहायता समूह/ लाभार्थी/ग्रामीण विकास/ग्राम पंचायत/विकास खंड पंचायत
4	पॉलीथीन थैलों को FMY(साफ किया गया एवं जांचा गया) से भरना, अच्छी मिट्टी, निंदाई, संरक्षण एवं नियमित सिंचाई	अक्टूबर 14	चयनित (40) स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास /ग्राम पंचायत/विकास खण्ड पंचायत
5	उत्पादक बेज से अंकुरों का निकालना एवं पॉलीथीन में भरना, निंदाई, बेड की सफाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाव	नवम्बर 14	चयनित (40) स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी /ग्रामीण विकास/ग्राम पंचायत/विकास खण्ड पंचायत
6	निंदाई, बेड की सफाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाव	दिसम्बर 14	चयनित (40) स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास /ग्राम पंचायत/विकास खण्ड पंचायत
7	1. निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाव 2. वृक्षारोपण का स्थान क्षेत्र का सर्वे करना एवं स्थान की सफाई, कीटनाशकों की खरीदारी	जनवरी 15	चयनित स्वयं सहायता समूह /लाभार्थी/ग्रामीण विकास/ ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/जिला पंचायत
8	1. पॉलीथीन थैलों का स्थानान्तरण, निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं धूप से बचाव 2. गड्ढों की खुदाई	फरवरी 15	चयनित स्वयं सहायता समूह /लाभार्थी/ग्रामीण विकास/ ग्राम पंचायत/ विकासखंड पंचायत/जिला पंचायत
9	1. निंदाई, संरक्षण, सिंचाई नियमित रूप से 2. गड्ढे खोदना, खोदे गये गड्ढों में कीटनाशक डालना बाडबंदी हेतु पर्यावरण अनुकूल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्रियों को प्राप्त करना अथवा जीवंत बाड़बंदी अथवा सामाजिक बाड़बंदी का चयन करना	मार्च 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत.

10	1. पॉलीथीन थैलों का स्थानांतरण करना, पॉलीथीन थैलों में से बाहर निकले जड़ों को हटाना, निंदाई, संरक्षण, सिंचाई एवं शेड 2. खेतों में बने खादों की खरीददारी, उर्वरक की खरीदारी	अप्रैल 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायतविकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत
11	1. निंदाई, संरक्षण, नियमित, सिंचाई 2. गड्ढों में खेतों में बने खाद FYM एवं मिट्टी भरना, लाभार्थियों एवं महात्मा गांधी नरेगा के अधिकारियों का कार्य स्थल Onsite पर प्रशिक्षण जिसका विषय होगा–वृक्षारोपण कार्य कैसे किये जायेंगे।	मई 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत
12	1. पॉलीथीन थैलों को स्थानांतरण, पॉली बैग से बाहर निकल रहे जड़ों को हटाना, पॉली बैग को पौधों के साथ–साथ उन्हें रोपणे वाले स्थान पर लाना, निंदाई/बेड की सफाई, संरक्षण, नियमित सिंचाई 2. पौधों का स्थानांतरण एवं अंकुरों को रोपना तथा जीवंत बाड़बंदी, सिंचाई, निंदाई, एवं कुदाल चलाना	जून 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास /ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत /वन विभाग
13	1. पौली बैग का पौधों के साथ स्थानांरतण जहां पौधों को रोपना है, निंदाई, बेड की सफाई, संरक्षण, नियमित सिंचाई 2. पौधों का स्थानांतरण एवं अंकुरों को रोपना एवं जीवंत बाड़बंदी, सिंचाई, सिंचाई एवं कुदाल चलाना	जुलाई 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत/ वन विभाग
14	1. पॉली थीन का पौधों के साथ–साथ स्थानांतरण, उस स्थान पर जहां–जहां कि उन्हें रोपना है, निंदाई, बेड की सफाई, संरक्षण, नियमित सिंचाई 2. पौधों का स्थानांतरण एवं अंकुरों को रोपना तथा जीवंत बाड़बंदी, सिंचाई, निंदाई एवं कुदाल चलाना	अगस्त 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत/ जिला पंचायत/ वन विभाग
15	1. निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाई	सितंबर 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत
16	1. निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाई	नवम्बर 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/विकास खंड पंचायत
18	1. निंदाई, कुदाल चलाना एवं 4 बार सिंचाई	दिसम्बर 15	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभार्थी/ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत/ विकास खण्ड पंचायत

19	1. निंदाई, कुदाल चलाना एवं संरक्षण	जनवरी 16	चयनित स्वयं सहायता समूह / लाभार्थी / ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत / विकास खण्ड पंचायत
20	1. निंदाई, कुदाल चलाना एवं संरक्षण	फरवरी 16	चयनित स्वयं सहायता समूह / लाभार्थी / ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत / विकास खण्ड पंचायत
21	1. सिंचाई 4 बार	मार्च 16	चयनित स्वयं सहायता समूह / लाभार्थी / ग्रामीण विकास / ग्राम पंचायत / विकास खण्ड पंचायत